राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937–अप्रेल 27, 2015
Vaisakha 7, Monday, Saka 1937–April 27, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 27, 2015

No. F. 2 (2) Vidhi/2/2015.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 16 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- For the existing sub-section (2) of section 5 of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 (Ordinance No. 7 of 1950), the following shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 8th August, 2014, namely:-

> "(2) References in any enactment or document for the time being in force to the "Court of the Subordinate

Judge" and to "Subordinate Judge" shall be deemed to have been made respectively to the "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and to "Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" as constituted and appointed or deemed as constituted and appointed under this Ordinance.".

दीपक माहेश्वरी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, अप्रेल 27, 2015

संख्या प. 2 (2) विधि/2/2015.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान सिविल कोर्टस् (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 16 ऑफ 2015)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015
(2015 का अधिनियम संख्यांक 16)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का

अध्यादेश सं. 7) की धारा 5 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 8 अगस्त, 2014 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

> "(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या दस्तावेज में "अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय" तथा "अधीनस्थ न्यायाधीश" के प्रति निर्देश क्रमशः, इस अध्यादेश के अधीन गठित तथा नियुक्त या गठित तथा नियुक्त समझे गये "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" और "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" के प्रति किये गये समझे जायेंगे।"।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।